

क्या आप विद्युत सुरक्षा विभाग के बारे में जानते हैं?

विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक विभाग है इस विभाग के विभागाध्यक्ष निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तराखण्ड शासन हैं। निदेशक, विद्युत सुरक्षा को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 162 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक नियुक्त किया गया है। विभाग का मुख्यालय हल्द्वानी (नैनीताल) में है तथा विभाग के 2 मण्डलीय कार्यालय तथा 3 जोनल कार्यालय हैं जिनके कार्यालयाध्यक्ष क्रमशः उप विद्युत निरीक्षक एवं सहायक विद्युत निरीक्षक हैं।

मुख्यालय :- कार्यालय, निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तराखण्ड शासन,
निकट हीरा कॉन्वेन्ट स्कूल, पीलीकोठी रोड, बड़ी मुखानी, हल्द्वानी, जिला—नैनीताल।
टेलीफोन नं० – कार्यालय—05946—262839, 261913
फैक्स – 05946—261913,
ई—मेल – ei_uttarakhand@yahoo.com

क्र.सं.	मण्डलीय / जोनल कार्यालय का नाम	टेलीफोन
1	पिथौरागढ़	–
2.	गोपेश्वर, जिला—चमोली	–
3.	नैनीताल जोन, हल्द्वानी	निकट हीरा कॉन्वेन्ट स्कूल, पीलीकोठी रोड, बड़ी मुखानी, हल्द्वानी, जिला—नैनीताल 05946—261913
4.	देहरादून	एकता एन्कलेव लेन नं०—6, मसूरी रिंग रोड, जोगीवाला देहरादून (0135) 2723078
5.	रुड़की	प्रकाश प्लाजा काम्प्लैक्स शिव मन्दिर के सामने सिविल लाइन्स, रुड़की जिला—हरिद्वार (01332) 276116

विद्युत सुरक्षा विभाग के मुख्य दायित्व

- विद्युत अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण एवं परीक्षण करना तथा तत्पश्चात निर्धारित अन्तराल पर नियतकालिक निरीक्षण एवं परीक्षण करना।
- विद्युत से हुई समस्त दुर्घटनाओं की जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने, क्षति पूर्ति प्रदान कराने तथा त्रुटिपूर्ण अधिष्ठापनों को ठीक कराने के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही कराना।
- मीटर की परिशुद्धता, अधिष्ठापन के त्रुटिपूर्ण होने, सर्विस लाइन की अनुमानित धनराशि, सर्विस लाइन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाने, ओवरहेड लाइन को नवनिर्मित भवन से दूर हटाने तथा ओवरहेड लाइन के नीचे, एवं निर्धारित दूरी पर भवन बनवाने आदि मामलों से सम्बन्धित सप्लायर तथा उपभोक्ता के मध्य उत्पन्न विवादों का निपटारा करना।

4. विद्युत ठेकेदारों को लाइसेन्स प्रदान करना तथा तत्पश्चात प्रति वर्ष उनके लाइसेंस का नवकरण करना ।
5. सुपरवाइजर सर्टीफिकेट तथा वर्कमैन परमिट प्रदान करना तथा तत्पश्चात पाँच वर्ष के अन्तराल पर उनका नवकरण करना ।
6. सिनेमाओं के विद्युत अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण एवं परीक्षण करना तथा तत्पश्चात स्थाई सिनेमाओं के विद्युत अधिष्ठापनों का प्रतिवर्ष निरीक्षण एवं परीक्षण करना ।
7. अस्त्र शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थों के गोदाम एवं भवन के विद्युत अधिष्ठान का निरीक्षण एवं परीक्षण करना ।
8. पावर कारपोरेशन, बिजली सप्लाई कम्पनी, नामित अधिकारी, स्थीकृतधारी तथा स्वयं जननकर्ताओं द्वारा रखे गये विद्युत शुल्क से सम्बन्धित लेखों की जाँच करना तथा उनके द्वारा देय विद्युत शुल्क, ब्याज तथा विलम्ब शुल्क की धनराशि की वसूली की व्यवस्था करना ।
9. प्रतिबंधित समय में बिजली का उपभोग न करने, लागू की गई कटौती एवं सम्बन्धित अन्य आदेशों के अनुपालन न करने के सम्बन्ध में जाँच करना ।
10. बिजली तथा विद्युत शुल्क से सम्बन्धित प्राविधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियोजन चलाना ।

उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा जनता तथा विद्युत उपभोक्ताओं की सेवा एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। अतः इस विभाग की सेवाओं का कृपया पूर्णरूप से लाभ उठायें।